STF-77061

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
प्लॉट नं० ०१, सैक्टर नॉलेज पार्क-४,
ग्रेटर नोएडा

पत्रांक : ग्रेनो/बिल्डर्स/का०आ०/२०२०/ 857
दिनांक : 20/नवम्बर, २०२०

कार्यालय आदेश

कोविड महामारी के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 1887/77-4-20-142एन/08टीसी दिनॉक 2.7.2020 में कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्रदान किये जाने हेतु निम्नानुसार निशुल्क समय विस्तरण प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है:—

"कोविड महामारी के दृष्टिगत शासन द्वारा सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत सभी परियोजनाओं के सम्बन्ध में विकासकर्ता को कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में छः माह का बिना शुल्क के समय विस्तारण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है । कृपया शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय का कियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।"

उक्त सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनॉक 11.11.2020 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या 1887/77-4-20-142एन/08टीसी दिनॉक 2.7.2020 को निम्न नियम व शर्तों के साथ प्राधिकरण में लागू किया जाता है:-

1. यह शासनादेश बिल्डर्स योजना/वाणिज्यिक योजना के अन्तर्गत आबंटित विकास परियोजनाओं के साथ-साथ प्राधिकरण क्षेत्र की उन सभी परियोजनाओं पर प्रभावी माना जाएगा जिन परियोजनाओं में विकासकर्त्ताओं द्वारा आबंटित भूखण्ड पर विकास कार्य/निर्माण कार्य पूर्ण कर इसे तृतीय पक्ष को विक्रय करते हुए सब-लीजडीड निष्पादित कराई जानी है।

2. इस शासनादेश में विकासकर्ता को कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में 06 माह का समय विस्तरण बिना विलम्ब शुल्क के दिए जाने का प्राविधान किया गया है परन्तु शासनादेश में यह स्पष्ट नहीं है कि यह अवधि किसी तिथि से आगणित होगी। अतः कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू लॉकडाउन के प्रारम्भ होने की तिथि दिनॉक 22.3.2020 से 06 माह दिनॉक 21.9.2020 तक का समय विस्तरण अनुमन्य कर दिया जाए। यह समय विस्तरण 22.3.2020 से दिनॉक 21.9.2020 तक की अवधि के अन्तर्गत ही मान्य होगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी विकासकर्त्ता द्वारा 01 अगस्त, 2020 से समय विस्तरण शुल्क की मॉग प्राधिकरण से की जाती है तो उस स्थिति में विकासकर्त्ता को 01.08.2020 से दिनॉक 21.9.2020 तक का ही समय विस्तरण अनुमन्य होगा न कि दिनॉक 1.8.2020 से आगामी 06 माह का।

3. यह समय विस्तरण केवल उन प्रकरणों में लागू माना जाएगा जिन प्रकरणों में उक्त अवधि में समय विस्तरण शुल्क विकासकर्त्ता पर देय बनता है। यदि किसी विकासकर्त्ता पर इस तिथि का समय विस्तरण शुल्क आरोपित/देय नहीं होता है तो उसे इस अवधि का समय विस्तरण अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

4. जिन विकासकर्त्ताओं द्वारा दिनॉक 22.3.2020 से दिनॉक 21.9.2020 तक की अवधि का समय विस्तरण शुल्क पूर्व से ही प्राधिकरण के पक्ष में जमा कराया जा चुका है, उन्हें इस अवधि के लिए निःशुल्क समय विस्तरण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा

उपरोक्त की कार्योत्तर स्वीकृति प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्राप्त की जायेगी ।

(कृष्ण कुमार गुप्त)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः—

1. स्टॉफ ऑफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी) को अवलोकनार्थ प्रेषित ।
3. सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
5. गार्ड फाइल

20/11/20

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी